8

8.1 अल्पावधि सहकारी संस्थाएँ

8.2 दीर्घावधि सहकारी संस्थाएँ

8.3 अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की मुख्य बातें

8.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

8.5 आगे की राह

अध्याय 8 का परिशिष्ट

ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सशक्त बनाना

ग्रामीण समृद्धि के अपने ध्येय को हासिल करने की दिशा में नाबार्ड संस्थागत विकास के माध्यम से आगे बढ़ता है. कृषि और ग्रामीण विकास में सहयोग देने के लिए ग्रामीण सहकारी (ग्रास) बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंकों सहित ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ (आरएफआई) वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.[1] अपने विस्तृत नेटवर्क और व्यापक पहुँच के साथ, इन संस्थाओं ने निर्धनों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देकर संस्थागत ऋण के दायरे का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. बैंकिंग तक पहुँच में सुधार लाने और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़, वित्तीय रूप से संधारणीय और परिचालन की दृष्टि से कुशल संस्थाओं में बदलने के लिए, नाबार्ड विकासात्मक और पर्यवेक्षकीय दोनो प्रकार के उपाय करता है. इनमें कारोबार में वृद्धि, लाभप्रदता, पूँजी पर्याप्तता और अनर्जक आस्ति (एनपीए) जैसे मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों की निगरानी शामिल है. नाबार्ड आरएफआई के माध्यम से पुनःपूँजीकरण, सेवा विविधीकरण, उत्पाद नवोन्मेष और डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने जैसी पहलों का भी समर्थन करता है, जिससे जमीनी स्तर पर प्रभावी ऋण वितरण में वृद्धि होती है और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित होती है.

8.1 अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में तीन प्रकार की वित्तीय संस्थाएँ होती हैं, नामतः राज्य/ शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी (रास) बैंक, जिला स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी (जिमस) बैंक और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स). पैक्स के अतिरिक्त, कुछ अन्य प्रकार की प्राथमिक समितियाँ भी जिमस बैंकों से सहबद्ध है. लेकिन सभी राज्य परंपरागत त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण नहीं करते. बारह राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली है, सात राज्यों में मिश्रित प्रणाली (त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय प्रणालियों का मिश्रण) है, और पंद्रह राज्यों में द्विस्तरीय संरचना है.

ग्रामीण जीवनों और आजीविकाओं का अल्पावधि ऋण के माध्यम से रूपांतरण

31 मार्च 2025 तक, अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में 34 रास बैंक (2,140 शाखाएँ), 351 जिमस बैंक (13,759 शाखाएँ) और लगभग 1.06 लाख पैक्स[2] हैं. रास बैंक और जिमस बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामकीय दायरे में आते हैं, और बैंककारी विनिमयन अधिनियम की धारा 35(6) के अंतर्गत नाबार्ड को इन संस्थाओं के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है. पैक्स बैंककारी विनिमयन अधिनियम के दायरे के बाहर है और उन्हें अपने नाम के हिस्से या अपने व्यवसाय के संबंध में "बैंक", "बैंकर", या "बैंकिंग" शब्द का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है. रास बैंकों और जिमस बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार दर्ज किया (चित्र 8.1 और 8.2).

रास बैंकों और जिमस बैंकों के समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन का विवरण परिशिष्ट तालिका अ8.1 में दिया गया है.

चित्र 8.1: वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में रास बैंकों का कार्यनिष्पादन (₹ '000 करोड़ में)

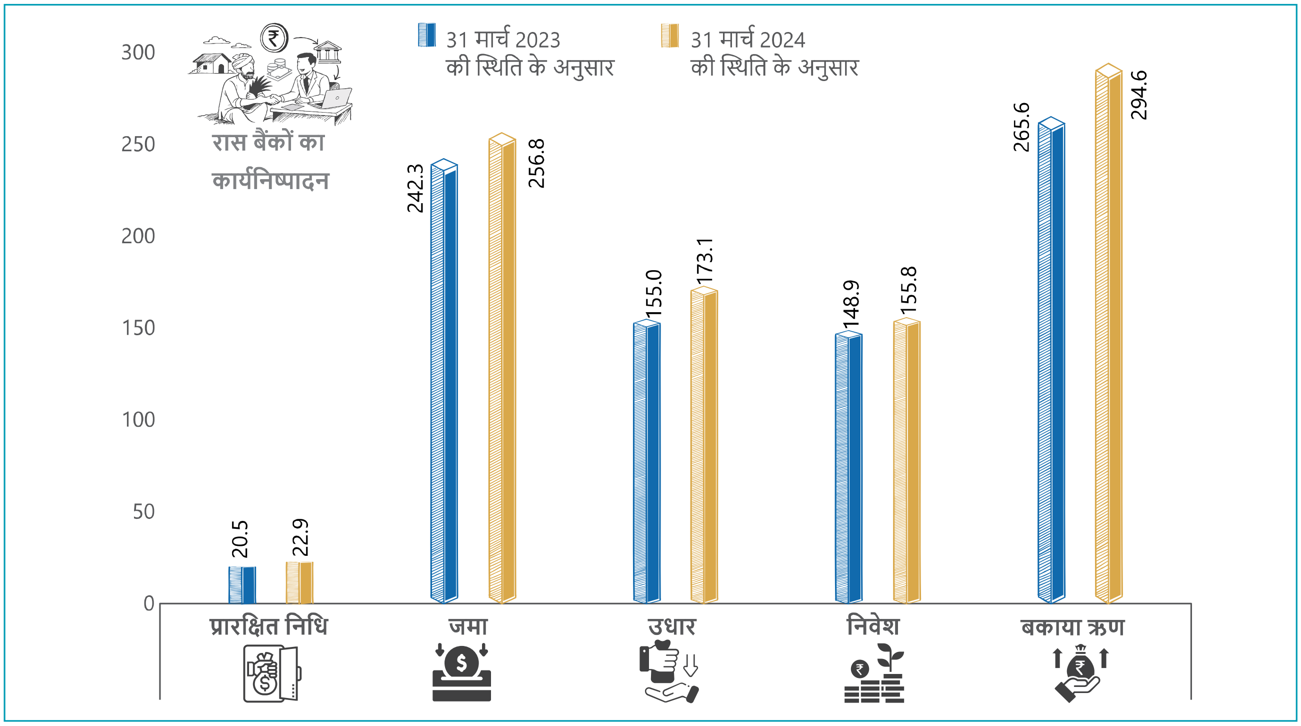

रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक

चित्र 8.2 : वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में जिमस बैंकों का कार्यनिष्पादन (₹ '000 करोड़ में)

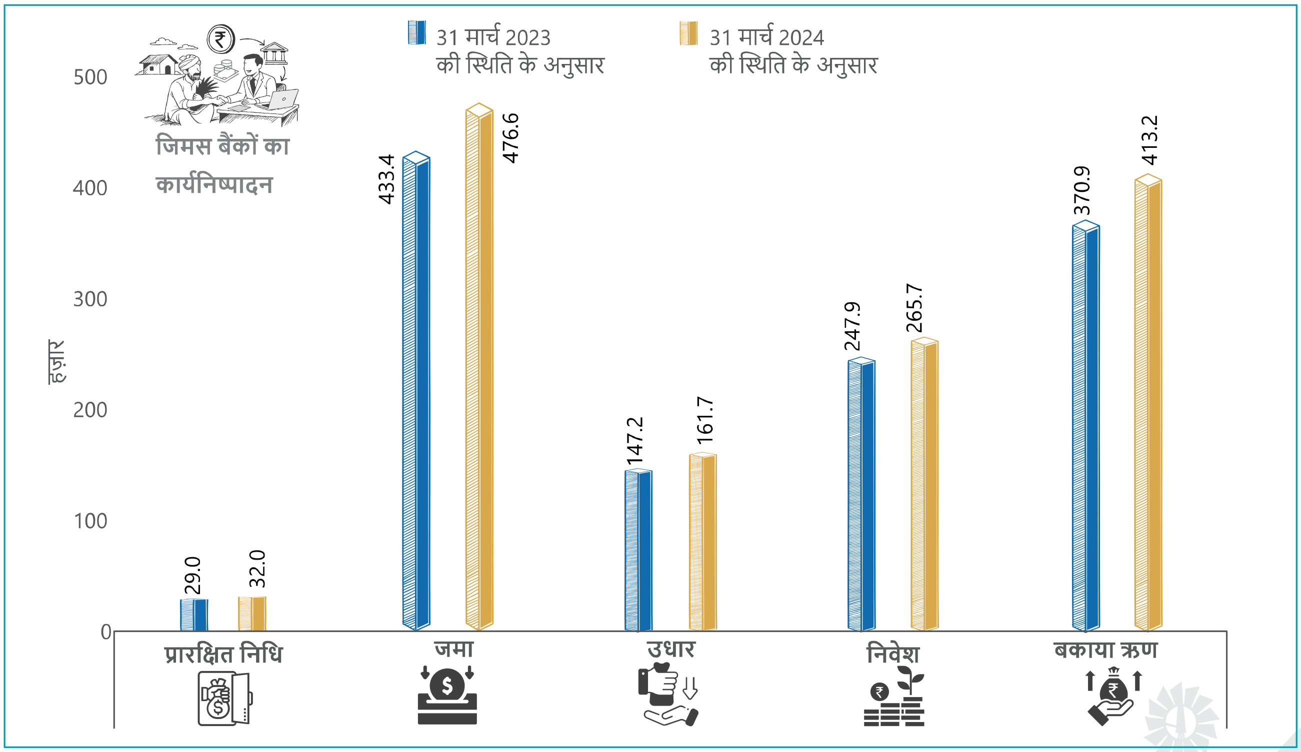

जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक.

8.2 दीर्घावधि सहकारी संस्थाएँ

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना मुख्य रूप से द्विस्तरीय संरचना में काम करती है जिसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास (रासकृग्रावि) बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास (प्रासकृग्रावि) बैंक आते हैं.

जिन 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रासकृग्रावि बैंक काम कर रहे हैं, उनमें से पाँच राज्यों में वे एकात्मक संरचना का पालन करते हैं, जिसके अंतर्गत वे शाखाएँ संचालित करते हैं लेकिन अलग से प्रासकृग्रावि बैंक नहीं हैं; छह राज्यों में प्रासकृग्रावि बैंक के माध्यम से संचालित संघीय ढाँचा है; और दो राज्य एक मिश्रित मॉडल का पालन करते हैं, जहाँ रासकृग्रावि बैंक अपनी शाखाओं, और प्रासकृग्रावि बैंक, दोनों के माध्यम से संचालित होते हैं. चूँकि कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 से अभिशासित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें गैर-सदस्यों से माँग जमाराशियाँ जुटाने की अनुमति नहीं है और ऐसी जमाराशियाँ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के अंतर्गत नहीं आती हैं.

रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों की वित्तीय स्थिति का सारांश परिशिष्ट तालिका अ8.2 में दिया गया है.

8.3 अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की महत्वपूर्ण प्रगति

8.3.1 नई बहु-उद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों का गठन और सुदृढ़ीकरण

केंद्रीय कैबिनेट ने 15 फरवरी 2023 को पाँच वर्ष की अवधि में 2 लाख नई बहु-उद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों (एम-पैक्स) के साथ-साथ डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन से सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवन देने की योजना को मंजूरी दी. इस पहल का उद्देश्य मौजूदा सहकारी समितियों को मजबूत करते हुए सभी पंचायतों और गाँवों का कवरेज सुनिश्चित करना है. नाबार्ड और राज्य सरकारों ने इस अवधि में संयुक्त रूप से 95,327 एम-पैक्स के गठन का लक्ष्य रखा है.

माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने 19 सितंबर 2024 को 'मार्गदर्शिका' का शुभारंभ किया, जिसमें प्रत्येक पंचायत में बहु-उद्देशीय समितियों और डेयरी तथा मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए रूपरेखा निर्दिष्ट की गई है. इसके बाद, 25 दिसंबर 2024 को मंत्री महोदय ने 10,000 नवगठित सहकारी समितियों का उद्घाटन किया. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, कुल 18,406 नई समितियों की स्थापना की गई जिनमें 5,175 एम-पैक्स, 11,900 बहु-उद्देशीय डेयरी सहकारी समितियाँ और 1,331 बहु-उद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियाँ सम्मिलित हैं. यह उपलब्धि सहकारिता विकास के प्रयासों में हुई प्रगति को दर्शाती है.

8.3.2 सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार के लिए राष्ट्रीय अभियान

वित्तीय वर्ष 2024 में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों और अन्य सहकारी निकायों के सभी वित्तीय लेनदेनों को सहकारी बैंकिंग नेटवर्क से रूट करने को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के बनासकांठा और पंचमहाल जिमस बैंकों में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाना है. इस प्रयास के अंतर्गत घर के पास डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) के अंतर्गत रास बैंकों और जिमस बैंकों को प्रदत्त अनुदान सहायता के माध्यम से प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम उपलब्ध कराए गए.

जिमस बैंकों ने डेयरी किसानों को बैंक में खाता खोलते समय ही रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए. एफ़आईएफ़ के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा कर वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से इस पहल के बारे में जागरूकता पैदा की गई. बाद में इस प्रायोगिक परियोजना के दायरे को बढ़ा कर गुजरात के सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया और परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई.

गुजरात में मिली सफलता के बाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में 19 सितम्बर 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए यह परियोजना शुरू की गई. नाबार्ड माइक्रो-एटीएम की खरीद और वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन के लिए रास बैंकों और जिमस बैंकों को सहायता उपलब्ध कराता है. नाबार्ड ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में इस अभियान के अनुप्रवर्तन के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया है.

अभियान के प्रमुख परिणामों में शामिल हैं (i) जमा खातों की संख्या में 19.6 लाख की वृद्धि, (ii) ग्रास के साथ जमा में ₹6,284 करोड़ की वृद्धि, और (iii) 1.95 लाख रुपे केसीसी जारी करना. इन पहलों ने सहकारी क्षेत्र के भीतर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है.

8.3.3 ग्रास बैंकों के लिए सहकारिता अभिशासन सूचकांक

ग्रास बैंकों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत अभिशासन प्रणाली और सकारात्मक संस्थागत संस्कृति आवश्यक है. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक वेब-आधारित सहकारिता अभिशासन सूचकांक (सीजीआई) पोर्टल विकसित किया जा रहा है. सीजीआई में गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषताएँ शामिल की गई हैं जिन्हें 11 श्रेणियों में समूहित किया गया है और जिन्हें आगे 19 उप-श्रेणियों और 135 अलग-अलग मापदण्डों में विभाजित किया गया है.

प्रत्येक मापदण्ड के अंतर्गत अभिशासन की स्थिति को 0 से 100 के पैमाने पर आकलित किया जाता है. अधिकतम प्राप्तांक 100 रखा गया है. यह पैमाना सभी श्रेणियों, उप-श्रेणियों और मापदण्डों के संदर्भ में कार्यनिष्पादन की स्थिति निर्दिष्ट करता है. प्रत्येक विशेषता/ लक्षण को विशिष्ट भारांक दिया गया है और निर्धारित अभिशासन मानकों का अनुपालन न करने की स्थिति में ऋणात्मक अंक भी दिये जाते है.

8.3.4 पैक्स एस्सेलेरेटर पायलट

प्रौद्योगिकी को समर्थन प्रदान

ऋणेतर व्यवसाय गतिविधियों में विविधता लाने के लिए 'उन्नति चरण II' पहल के अंतर्गत नाबार्ड पैक्स के सहयोग हेतु 'पैक्स एक्सेलेरेटर पायलट परियोजना' लागू कर रहा है. पायलट परियोजना के भाग के रूप में यह कार्यक्रम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाणा राज्यों में 30 समितियों में लागू किया जा रहा है. यह कार्यक्रम 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है : (i) बाजार-आधारित गतिविधि का चयन, (ii) जिमस बैंकों द्वारा समय पर वित्तपोषण, (iii) आधार स्तर पर लोगों को समर्थ बनाना और आधारभूत संरचनागत सहयोग, और (iv) क्षमता निर्माण. जिमस बैंकों द्वारा वित्तपोषण के लिए 36 ऋणेतर गतिविधियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं. नाबार्ड के अधिकारी चुनी गई व्यवसाय गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए पैक्स को आरंभिक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं. पैक्स कार्मिकों के क्षमता निर्माण के लिए एक समग्र प्रशिक्षण योजना भी तैयार की गई है. नाबार्ड ने इस पहल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 तक 10,000 पैक्स को शामिल करने का लक्ष्य रखा है.

8.3.5 सहकारिता विकास निधि के अंतर्गत कार्यान्वित परियोजना

सहकारिता विकास निधि (सीडीएफ़) की स्थापना नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1993 में ₹10 करोड़ की आरंभिक समूह निधि से की गई थी, जिसे नाबार्ड के वार्षिक लाभ के अंशदान से समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है. सीडीएफ़ की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2025 तक इस निधि से ₹381.5 करोड़ की संचयी राशि संवितरित की गई है. पुनःपूर्ति और विनियोजन के बाद, 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार, समूह निधि की शेष राशि ₹200 करोड़ है. सीडीएफ के अंतर्गत प्रदान की गई अनुदान सहायता के बारे में परिशिष्ट तालिका अ8.3 में जानकारी दी गई है.

31 मार्च 2025 की स्थिति में सीडीएफ़ के अंतर्गत प्रमुख परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं:-

1. सीडीएफ से अधिकांश सहायता सहकारी बैंक कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता की योजना (सॉफ्टकॉब) के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रदान की जाती है. पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं (सीटीआई) ने सहकारी संरचना के विभिन्न स्तरों में एक लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 4,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं. नाबार्ड ने सॉफ्टकॉब को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025 में सॉफ्टकॉब दिशानिर्देशों का व्यापक पुनरीक्षण किया.
2. सीडीएफ योजना के अंतर्गत, नाबार्ड ने बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ में सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पीईसी) की स्थापना की. सी-पीईसी का उद्देश्य अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के अंतर्गत व्यावसायिकता और कुशल मानव संसाधन के संवर्धन

के लिए प्रशिक्षण प्रणालियों की गुणवत्ता को बढ़ाना और नीतियाँ विकसित करना है. इसकी मुख्य गतिविधियों में सीटीआई का प्रत्यायन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण, परिचालन और तकनीकी मैनुअल तैयार करना, प्रमाणन पाठ्यक्रमों का संचालन और प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल हैं. इस निधि का उपयोग नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थानों (बर्ड लखनऊ, मंगलूरु और कोलकाता) द्वारा संचालित प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए भी किया जाता है. सभी परिचालन कार्यों के डिजिटलीकरण और दायरे के विस्तार के माध्यम से सी-पीईसी को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

3. वर्ष 2020 में नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के अंतर्गत व्यवसाय विविधीकरण और उत्पाद नवोन्मेष कक्ष (बीडीपीआईसी) की स्थापना के लिये सीडीएफ़ समर्थित योजना आरंभ की. 31 मार्च 2025 की स्थिति में ₹15.5 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ 20 बीडीपीआईसी परिचालन में हैं.
4. पैक्स को बहु-सेवा केंद्रों (एमएससी) के रूप में परिवर्तित करने की योजना के लिए भी सीडीएफ सहायता उपलब्ध है. इस योजना के अंतर्गत, परियोजना तैयार करने, एक्सपोजर दौरे, कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण, प्रलेखन और प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे कार्यों के लिए समितियाँ प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता प्राप्त कर सकती हैं. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, इस पहल के अंतर्गत ₹366.1लाख का संवितरण किया गया था.
5. प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग, मार्गदर्शन, एक्सपोजर दौरे और अन्य संगत पहलों के माध्यम से पैक्स के क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण में सहयोग देने के लिए रास बैंकों और जिमस बैंकों (द्विस्तरीय प्रणालियों में) में पैक्स विकास कक्ष (पीडीसी) की स्थापना की गई है. इन प्रयासों का उद्देश्य पैक्स को वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं को कुशलतापूर्वक और व्यवहार्य रूप से उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना है. 31 मार्च 2025 की स्थिति में 20 राज्यों में 2,556 पैक्स को शामिल करते हुए पीडीसी की स्थापना के लिए 95 रास बैंकों और जिमस बैंकों को मंजूरी दी गई है.
6. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और जम्मू और कश्मीर के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण प्रयासों और आधारभूत संरचना सहायता के लिए व्यापक सहायता योजना उपलब्ध है. 31 मार्च 2025 की स्थिति में इन क्षेत्रों में रास बैंकों के लिए कुल ₹1,009 लाख की राशि मंजूर की गई है.

8.3.6 अम्ब्रेला डिजिटल पोर्टल का विकास

एंगेज पहल के तहत डिजिटल रूपान्तरण के लक्ष्य के भाग के रूप में नाबार्ड एक अम्ब्रेला डिजिटल पोर्टल विकसित कर रहा है जो सीडीएफ़ की विभिन्न योजनाओं और अन्य संस्थागत पहलों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन को ट्रैक करेगा. इस पोर्टल को सितम्बर 2025 में शुरू करने की योजना है.

8.3.7 नए रास बैंकों और जिमस बैंकों की स्थापना के प्रयास

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुँच में विस्तार के लिए नाबार्ड ने एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है जिसमें सहकारी बैंकिंग संरचना के भीतर अतिरिक्त संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की गई है. इस पत्र में लाभप्रदाता योजनाएँ तैयार करने की शर्त के अधीन 240 नए जिमस बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है. साथ ही, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में 2 नए रास बैंकों की स्थापना का भी प्रस्ताव है. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण पत्र को विचार के लिए राज्य सरकारों को भेजा है. इस पहल के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विद्यमान सेलम जिमस बैंक को विभाजित कर नमक्कल जिले में एक नए जिमस बैंक की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है.

8.3.8 टर्नअराउंड योजना तैयार करना और ग्रास बैंकों द्वारा विकास कार्य योजना तैयार करना

कमजोर ग्रास बैंकों के सुदृढीकरण के उद्देश्य से नाबार्ड ने प्रत्येक कमजोर रास बैंक के लिए एक टर्नअराउंड योजना (टीएपी) तैयार करने की पहल की है. एक व्यापक संरचना के तहत, नाबार्ड की अद्यतन निरीक्षण रेटिंग के आधार पर सी और डी श्रेणियों में आने वाले ग्रास बैंकों को, और साथ ही ऐसे ग्रास बैंकों को, जो 'पर्यवेक्षकीय कार्रवाई - टर्नअराउंड के लिए स्व-प्रयास' के अंतर्गत हैं, सूचित किया गया है कि वे एक बहु-आयामी टीएपी तैयार कर कार्यान्वित करें. टीएपी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह न केवल वित्तीय मापदण्डों पर सुधार लाए, बल्कि महत्वपूर्ण परिचालनगत आयामों को भी ठीक करे जिनमें व्यवसाय विविधीकरण, आंतरिक जाँच और नियंत्रण, अभिशासन, लागत को विवेक सम्पत बनाना, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और वित्तीय समावेशन शामिल हैं. इससे इन बैंकों का समग्र सुधार सुनिश्चित होगा.

नाबार्ड ने टीएपी तैयार करने में मार्गदर्शन के लिए एक मानकीकृत टेम्प्लेट परिचालित किया है और चिह्नित ग्रास बैंकों के अधिकारियों के लिए बर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं. सभी लक्षित बैंकों ने अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कर दी हैं और सहकारिता मंत्रालय सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रगति का अनुप्रवर्तन किया जा रहा है.

8.3.9 आंतरिक शिकायत निवारण पोर्टल

पारदर्शिता, जवाबदेही और सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रणों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ग्रास बैंकों के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत/ परिवाद निवारण/ प्रतितोष प्रबंधन प्रणाली के लिए एक व्हाइट लेबेल वेब एप्लिकेशन विकसित कर रहा है. यह पोर्टल ग्राहकों की शिकायतों के समय पर कुशलतापूर्वक समाधान और पर्यवेक्षकीय अपेक्षाओं के अनुपालन में सहयोग देगा. चुने हुए ग्रास बैंकों के साथ विकास और परीक्षण चरण पूरे हो चुके हैं.

8.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1975 में स्थापित क्षेग्रा बैंकों का प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों, और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ देकर ग्रामीण आर्थिक विकास का संवर्धन करना है. ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक सेक्टरों से संबन्धित गतिविधियों और साथ ही उनसे संबद्ध और सहायक सेवाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराते हैं (चित्र 8.3).

चित्र 8.3: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार क्षेग्रा बैंकों का नेटवर्क

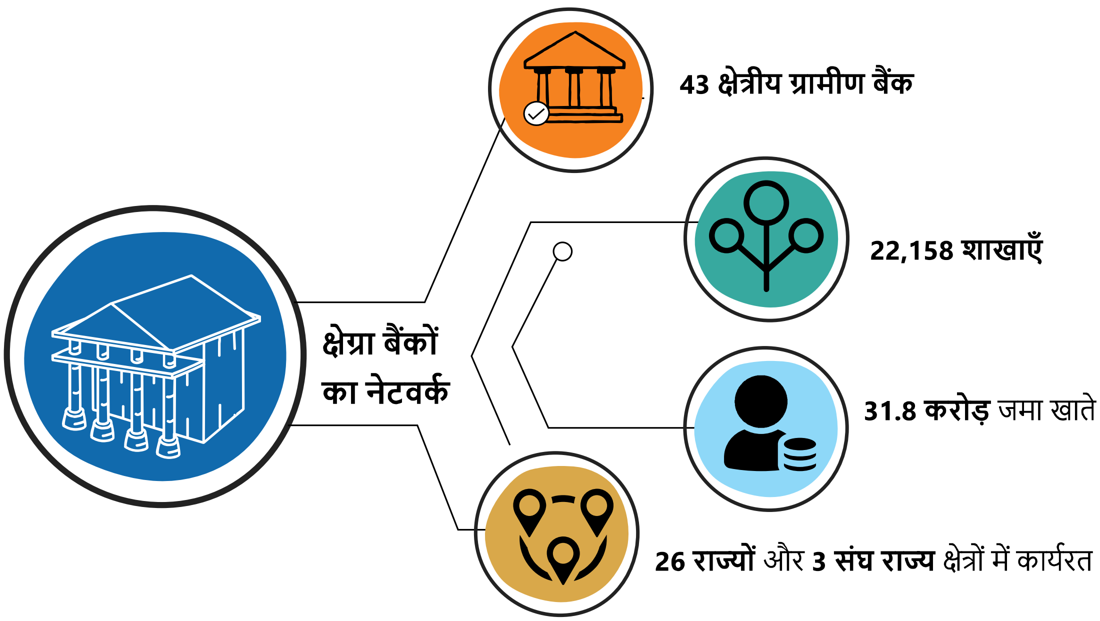

यह उल्लेखनीय है कि क्षेग्रा बैंकों की 92% शाखाएँ ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में इन बैंकों की केंद्रीय भूमिका स्पष्ट होती है.

8.4.1 क्षेग्रा बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान सभी क्षेग्रा बैंकों का समेकित लाभ ₹7,148 करोड़ था.[3] 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में समेकित पूँजी का अनुपात 14.4% के अब तक के सबसे ऊँचे उच्च स्तर पर पहुँच गया, जबकि यह अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष में 14.2% था.

आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ जैसा कि सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के घटकर 5.3 प्रतिशत हो जाने से परिलक्षित होता है. यह पिछले 13 वर्षों में दर्ज किया गया जीएनपीए का निम्नतम स्तर है. ऋण गतिविधियों में विस्तार के परिणामस्वरूप समेकित ऋण-जमा अनुपात बढ़कर 73.8% हो गया, जो 38 वर्षों में उच्चतम स्तर को चिह्नित करता है.

मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों में सुधार चित्र 8.4 में दर्शाया गया है. इन संकेतकों का विस्तृत सारांश परिशिष्ट तालिका अ8.4 में दिया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्षेग्रा बैंकों का प्रदर्शन परिशिष्ट तालिका अ8.5 में दिया गया है.

चित्र 8.4: वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें

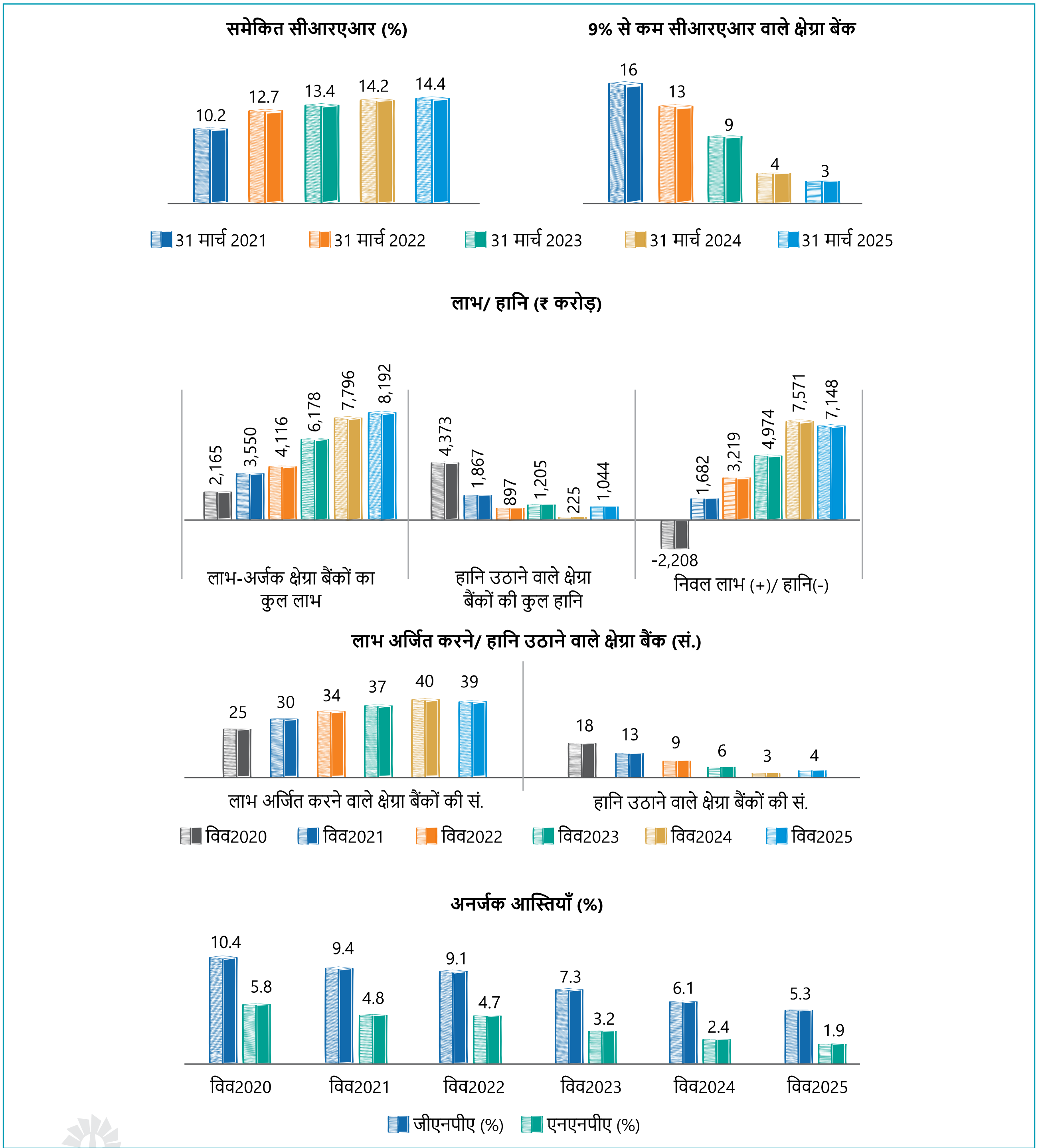

सीआरएआर = जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात, जीएनपीए = सकल अनर्जक आस्ति, एनएनपीए = निवल अनर्जक आस्ति, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.

8.4.2 क्षेग्रा बैंकों से संबन्धित महत्वपूर्ण घटनाक्रम

क्षेग्रा बैंकों का समामेलन

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, भारत सरकार ने ‘एक राज्य- एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक’ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के चरण IV हेतु परामर्श प्रक्रिया शुरू की. इस पहल से क्षेग्रा बैंकों की संख्या वर्तमान 43 से घटकर 28 होने की आशा है (चित्र 8.5). समामेलन के चरण IV के अंतर्गत क्षेग्रा बैंकों की अनन्य मूल्यवत्ता अर्थात ग्रामीण समुदायों के साथ उनके गहरे जुड़ाव को संरक्षित रखने का प्रयास तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ उनके समेकन के माध्यम से बड़े पैमाने के परिणामास्वरूप आने वाली दक्षताओं और लागतों को विवेकसम्मत बनाने का भी प्रयास किया जाएगा.

चित्र 8.5: क्षेग्रा बैंकों का समामेलन, चरण IV: नाबार्ड की भूमिका

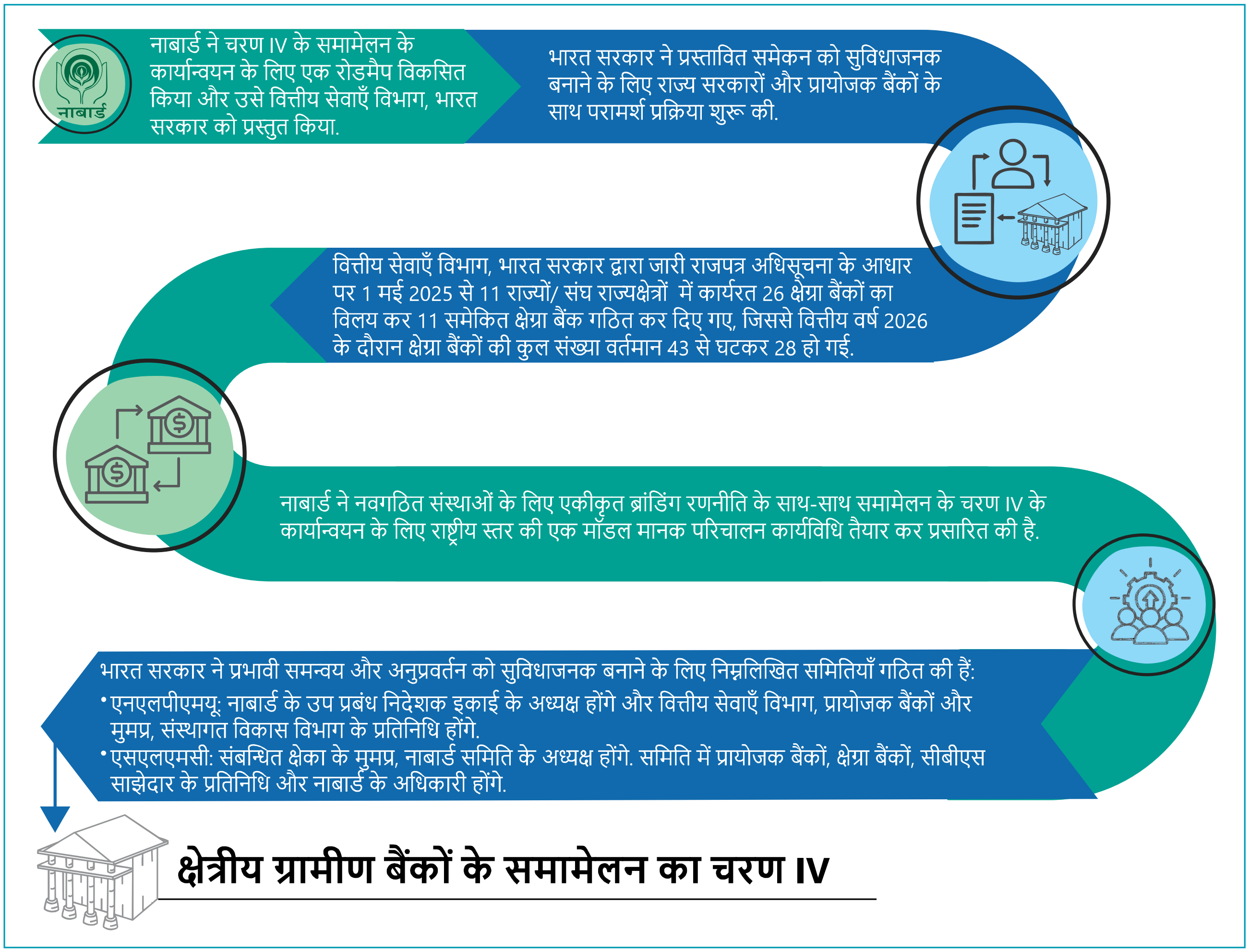

क्षेग्रा बैंक= क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डीएफ़एस = वित्तीय सेवाएँ विभाग, एनएलपीएमयू = राष्ट्र स्तरीय परियोजना अनुप्रवर्तन इकाई, एसएलएमसी = राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति, क्षेका = क्षेत्रीय कार्यालय, मुमप्र = मुख्य महाप्रबंधक, सीबीएस = कोर बैंकिंग समाधान.

क्षेग्रा बैंकों का पुन:पूँजीकरण

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 में क्षेग्रा बैंकों में पूँजी डालने के लिए ₹10,890 करोड़ मंजूर किए जिसमें सभी हितधारकों का अंशदान था – भारत सरकार (50%: ₹5,445 करोड़), राज्य सरकारें (15%) और प्रायोजक बैंक (35%). इसका उद्देश्य क्षेग्रा बैंकों को वित्तीय रूप से संधारणीय और आत्म-निर्भर संस्थाओं के रूप में सुदृढ़ बनाना था.

भारत सरकार के हिस्से में से, संबंधित राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों द्वारा अपना आनुपातिक अंशदान दे दिए जाने के बाद, वित्तीय वर्ष 2025 में ₹261 करोड़ की राशि 3 क्षेग्रा बैंकों को संवितरित की गई – आर्यावर्त बैंक (₹137.7 करोड़), बड़ौदा यूपी बैंक (₹57.9 करोड़) और केरल ग्रामीण बैंक (₹65.3 करोड़). इस संवितरण के साथ सभी 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अब सभी हितधारकों द्वारा मंजूर की गई पूर्ण पुनर्पूंजीकरण सहयाता प्राप्त कर ली है.

संधारणीय लाभप्रदता योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति

क्षेग्रा बैंकों को पुनःपूँजीकरण सहायता मंजूर करने के भारत सरकार के निर्णय के बाद सभी क्षेग्रा बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2023 में अपने-अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तीन-वर्षीय लाभप्रदता योजना शुरू की जिसमें विशिष्ट, मापन-योग्य, हासिल किए जाने योग्य, संगत और समयबद्ध (स्मार्ट) मीट्रिक्स और एक स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यान्वयन संरचना शामिल की गई. इस योजना का उद्देश्य ऋण विस्तार, व्यवसाय विविधीकरण, आस्ति गुणवत्ता उन्नयन, लागत को विवेकसम्मत बनाने, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और अधिक सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन के माध्यम से संधारणीय लाभप्रदता हासिल करना है.

नाबार्ड ने ये लाभप्रदता योजनाएँ तैयार करने में क्षेग्रा बैंकों को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नाबार्ड निरंतर संधारणीय लाभप्रदता योजना संरचना के तहत आवधिक अनुप्रवर्तन करता है. नाबार्ड द्वारा विकसित डिजिटल पोर्टल 'आरआरबी दर्पण' क्षेग्रा बैंकों के तत्काल अनुप्रवर्तन और समीक्षा का प्रभावी साधन सिद्ध हुआ है. इस पृष्ठभूमि में, क्षेग्रा बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2025 में लगातार सुधार दर्ज करते हुए अनेक मापदण्डों पर ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं.

क्षेग्रा बैंकों द्वारा एमएसएमई के ऋणीकरण के संवर्धन के लिए पहलें

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण देने को प्राथमिकता दी है. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, उद्यम आवश्यकताओं के साथ ऋण वितरण का तालमेल बिठाने हेतु क्षेग्रा बैंक शाखाओं को एमएसएमई क्लस्टरों के साथ मैप किया गया था. सभी क्षेग्रा बैंकों ने अपने परिचालन क्षेत्रों के भीतर चिह्नित एमएसएमई क्लस्टरों के साथ अपनी शाखाओं की मैपिंग का काम पूरा कर लिया है. कई क्षेग्रा बैंकों ने एमएसएमई के लिए अभिनव और अनुकूलित ऋण उत्पाद सामने रखना शुरू कर दिया है, जो इन शाखाओं में उधारकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इससे उनके ऋण पोर्टफोलियो में विविधता आई है.

विशेष ध्यान के अंतर्गत रखे गए क्षेग्रा बैंक

विशेष ध्यान के अंतर्गत रखे गए क्षेग्रा बैंक - यह तंत्र पूर्व-चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो क्षेग्रा बैंकों की आगे संभावित वित्तीय गिरावट को रोकने तथा 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई संरचना' के अंतर्गत उनके शामिल होने की आशंका को दूर करने के लिए क्षेग्रा बैंकों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई[4] की आवश्यकता का संकेत देता है. क्षेग्रा बैंकों को निरंतर मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान कर नाबार्ड संस्थागत सहयोग के अन्य रूपों की अनुपूर्ति करता है.

चिह्नित क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए 17 सितम्बर 2024 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसके दौरान 11 क्षेग्रा बैंकों के अध्यक्षों ने अपने परिचालन के प्रमुख पहलुओं को रेखांकित करते हुए प्रस्तुतियाँ दीं. प्रस्तुतियों में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए लाभप्रदता योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु व्यापार विविधीकरण, तकनीकी उन्नयन और एनपीए को कम करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति शामिल थी.

आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की आस्तियों और देयताओं का विभाजन

आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) के अंतर्गत भारत सरकार ने 20 अक्तूबर 2014 को आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) और तेलंगाणा ग्रामीण बैंक के परिचालन क्षेत्र के पुनर्गठन को अधिसूचित किया[5]. इन अधिसूचनाओं को परिचालन में लाने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यसमूह गठित किया है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा राज्यों के बीच आस्तियों और देयताओं को विभाजित करने में अनुशंसा करेगा.

वित्तीय वर्ष 2024 में डीएफ़एस ने एपीजीवीबी की आस्तियों और देयताओं के विभाजन की योजना[6] अनुमोदित की और नाबार्ड को सूचित किया कि वह कैलेंडर वर्ष 2024 के अंत तक कार्यसमूह की अनुशंसा के अनुरूप इस प्रक्रिया को पूरा करे. एपीजीवीबी की 493 शाखाओं का विभाजन पूरा हो गया है और इन शाखाओं को 1 जनवरी 2025 से तेलंगाणा ग्रामीण बैंक में शामिल कर दिया गया है.

पेंशन और कंप्यूटर वेतनवृद्धि के बकाये का भुगतान

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12 अगस्त 2024 के अपने आदेश के माध्यम से क्षेग्रा बैंकों के कर्मचारियों के बकाये के भुगतान के साथ पेंशन योजना और कंप्यूटर वेतनवृद्धि योजना को कार्यान्वित करने का निर्देश भारत सरकार को दिया. नाबार्ड ने इस निर्देश के अनुपालन में सहयोग देने के लिए बकाये की पात्र राशि की गणना और संवितरण में सक्षम बनाया.

साथ ही, नाबार्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया कि वह क्षेग्रा बैंकों को अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन करने की अनुमति दे. इस अनुरोध के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेग्रा बैंकों को, प्रतिवर्ष कुल देयता के न्यूनतम 20 प्रतिशत के व्यय की शर्त के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्य वित्तीय वर्ष से शुरू कर 5 वर्ष से अनधिक अवधि में देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी.

सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इन्फ्रास्ट्रक्चर

नाबार्ड क्षेग्रा बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल ऋणीकरण प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीसीआई). सीडीसीआई को विभिन्न ऋण उत्पादों की प्रोसेसिंग और प्रबंधन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और स्वचालन के माध्यम से कार्य को सुकर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे परिचालन में दक्षता और पारदर्शिता आएगी. यह अपेक्षा है कि कुछ क्षेग्रा बैंकों में फिलहाल जो लोन ओरिजिनेशन प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है, उससे यह नई प्रणाली अधिक त्वरित और दक्षतापूर्ण समाधान दे सकेगी. सितम्बर 2025 के अंत तक सीडीसीआई को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

क्षेग्रा बैंकों के लिए संशोधित मानव संसाधन नीति

डीएफ़एस ने क्षेग्रा बैंकों में भर्ती, पदोन्नति, कार्यों की आउटसोर्सिंग, अध्यक्षों की नियुक्ति और प्रायोजक बैंकों के अधिकारियों की क्षेग्रा बैंकों में प्रतिनियुक्ति से संबन्धित मामलों की समीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2022 को एक समिति गठित की. समिति का गठन नाबार्ड के तत्कालीन उप प्रबंध निदेशक और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के. वी. की अध्यक्षता में किया गया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2023 में प्रस्तुत की. वित्तीय वर्ष 2025 में समिति की अनुशंसाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए डीएफ़एस और अन्य हितधारकों के साथ कई परामर्श बैठकें हुई. ऐसी उम्मीद है कि सितम्बर 2025 तक क्षेग्रा बैंकों के लिए संशोधित मानव संसाधन नीति जारी कर दी जाएगी.

अन्य प्रयास

- **क्षेग्रा बैंकों में स्थानांतरण नीति**: क्षेग्रा बैंकों में एक समान और गैर-विवेकाधीन स्थानांतरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए डीएफ़एस ने नाबार्ड के परामर्श से क्षेग्रा बैंकों में स्थानांतरण नीतियों के निर्धारण के लिए 20 फरवरी 2025 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए.
- **क्षेग्रा बैंकों के लिए निदेशक मण्डल की आदर्श कार्यसूची**: निदेशक मण्डल की कार्यवाही को सुकर और अभिशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए नाबार्ड ने क्षेग्रा बैंकों के निदेशक मण्डल की बैठकों के लिए एक आदर्श कार्यसूची तैयार की जिसे 29 जुलाई 2024 के नाबार्ड के पत्र के माध्यम से सभी क्षेग्रा बैंकों में परिचालित किया गया.

8.5 आगे की राह

8.5.1 सहकारिताओं का संस्थागत विकास

- विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से 2025 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाना.
- अंतरराष्ट्रीय को-ऑपरेटिव अलायंस और द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ क्रेडिट यूनियन्स सहित अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठनों के साथ अधिक जुड़ाव.
- ग्राहक सेवा और विनियामकीय अनुपालन के सुदृढीकरण के लिए ग्रास बैंकों हेतु एक साझा आंतरिक निवारण पोर्टल शुरू करना.
- ग्रास बैंकों में अभिशासन मानकों के मूल्यांकन और उनमें सुधार के लिए सीजीआई का कार्यान्वयन.
- पैक्स में ऋणेतर गतिविधियों में विविधीकरण तथा सदस्यों की संलग्नता में वृद्धि के लिए पैक्स एक्सेलेरेटर प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना.
- संरचित प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों हेतु एक आदर्श प्रौद्योगिकी नीति जारी करना.
- अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के समग्र विकास के लिए एक सुदृढ़ मानव संसाधन पारिस्थितिकी के निर्माण के लिए ग्रामीण सहकारी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू करना.

- सहकारी संस्थाओं में प्रौद्योगिकी-नीत प्रयासों के लिए सीडीएफ़ के माध्यम से समर्थकारी नीतिगत सहयोग उपलब्ध कराना.

8.5.2 क्षेग्रा बैंकों का संस्थागत विकास

- क्षेग्रा बैंकों के लिए समामेलन चरण IV की प्रक्रिया का कार्यान्वयन, साथ ही एकीकृत ब्रांडिंग रणनीति के माध्यम से उनकी दृश्यता और कार्य परिणामों में वृद्धि.
- क्षेग्रा बैंकों में ऋण प्रदाय के आद्यंत स्वचालीकरण के लिए सीडीसीआई विकसित कर उसे शुरू करना.
- लक्षित कार्यशालाओं, संदेह निवारण सत्रों और मार्गदर्शक मैनुअल के माध्यम से नाबार्ड के नामिती निदेशकों का क्षमता निर्माण.
- क्षेग्रा बैंकों के पोर्टफोलियो में विविधीकरण के लिए नवोन्मेषी ऋण उत्पादों को डिजाइन करने में सहयोग - उदाहरण के लिए, प्रथम हानि चूक गारंटी सहित आवास ऋण; और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण उत्पाद.
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले विकल्प के रूप में क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों का रणनीतिक पुनःस्थापन.

अध्याय 8 का परिशिष्ट

तालिका अ8.1: रास बैंकों और जिमस बैंकों का समेकित प्रदर्शन (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	*मापदंड*	*रास बैंक*			*जिमस बैंक*		
		31 मार्च 2023	*31 मार्च 2024*	*% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)*	*31 मार्च 2023*	*31 मार्च 2024*	*% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)*
1	बैंक (सं.)	34	34	-	351	351	-
2	शाखाएँ (सं.)	2,102	2,140	1.8	13,698	13,759	0.4
3	शेयर पूँजी	9,774	10,531	7.7	26,486	28,661	8.2
4	प्रारक्षित निधि	20,544	22,861	11.3	28,729	31,701	10.3
5	जमा	2,42,327	2,56,819	6.0	4,33,358	4,76,610	10.0
6	उधार	1,54,970	1,73,116	11.7	1,47,207	1,61,728	9.9
7	निवेश	1,48,666	1,55,826	4.8	2,47,942	2,65,692	7.2
8	बकाया ऋण	2,65,580	2,94,577	10.9	3,70,851	4,13,161	11.4
9	आस्तियाँ/ देयताएँ	4,51,840	4,88,266	8.1	6,97,304	7,65,577	9.8
10	लाभ अर्जित करने वाले बैंक (सं.)	32	32	–	305	312	सुधार हुआ
11	लाभ की राशि	2,518	2,726	8.3	2,879	3,297	14.5
12	हानि उठाने वाले बैंक (सं.)	2	2	–	46	39	सुधार हुआ
13	हानि की राशि	60	35	-41.7	998	1,403	40.6
14	निवल लाभ/ हानि	2,458	2,691	9.5	1,881	1,894	0.7
15	सीडी अनुपात (%)	109.6	114.7	सुधार हुआ	85.6	86.7	सुधार हुआ
16	सीआरएआर (%)	13.3	12.9	कमी आई	12.1	11.9	कमी आई
17	<9% सीआरएआर वाले बैंक (सं.)	2	2	-	41	39	सुधार हुआ
18	जीएनपीए (%))	5.4	4.9	सुधार हुआ	9.6	8.9	सुधार हुआ
19	एनएनपीए (%))	2.1	2.0	सुधार हुआ	3.9	3.4	सुधार हुआ
20	पीसीआर (%)	67.2	68.5	सुधार हुआ	78.4	83.9	सुधार हुआ

सीडी अनुपात= ऋण जमा अनुपात, सीआरएआर = जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात, जिमस बैंक= जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जीएनपीए = सकल अनर्जक आस्तियाँ, एनएनपीए= निवल अनर्जक आस्तियाँ, पीसीआर= प्रावधान कवरेज अनुपात, रास बैंक= राज्य सहकारी बैंक.

स्रोत: बैंकों द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल पर प्रस्तुत की गई ऑफ-साइट निगरानी विवरणियाँ.

तालिका अ8.2: रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों की वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	रासकृग्रावि बैंक		प्रासकृग्रावि बैंक	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2024P	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024P
1	संस्थाओं की संख्या	13	13	608	609
2	उन संस्थाओं की संख्या जिनके लिए डेटा उपलब्ध है	13	13	607	608
3	शेयर पूँजी	973	1,007	1,110	1,058
4	प्रारक्षित निधि	5,621	5,761	4,518	4,600
5	जमा	2,621	2,679	1,721	1,804
6	उधार	12,559	12,520	16,949	16,840
7	बकाया ऋण	20,770	21,048	16,044	15,922
8	निवेश	2,913	2,837	2,387	2,502
9	कुल आस्तियाँ/ देयताएँ	27,795	28,851	32,883	33,324
10	लाभ अर्जित करने वाले बैंक (सं.)	10	9	352	345
11	लाभ की राशि	448	304	535	231
12	हानि उठाने वाले बैंक (सं.)	3	4	255	263
13	हानि की राशि	40	563	234	368
14	निवल लाभ/ हानि	408	–259	301	–137
15	जीएनपीए (राशि)	7,571	8,070	6,371	6,144
16	जीएनपीए(%)	36.4	38.3	39.7	38.6

जीएनपीए= सकल अनर्जक आस्तियाँ, प्रासकृग्रावि बैंक= प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अ = डेटा अनंतिम है, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक.

स्रोत: रासकृग्रावि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा.

तालिका अ8.3: वित्तीय वर्ष 2025 में सीडीएफ़ के तहत निधि का उपयोग

क्र. सं.	प्रयोजन	लाभार्थी एजेंसी	उपयोग (₹ लाख)
1	सॉफ्टकॉब	सीटीआई	1,655.1
2	पैक्स विकास कक्ष	जिमस बैंक/ रास बैंक	2.0
3	बर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण	बर्ड (लखनऊ, मंगलूरु, कोलकाता)	443.3
4	एक्सपोजर दौरे	रास बैंक/ जिमस बैंक / पैक्स	75.6
5	सम्मेलन/ संगोष्ठी/ कार्यशाला	नाबार्ड/ रास बैंक/ जिमस बैंक	43.0
6	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापक सहायता योजना	रास बैंक	139.0
7	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	रास बैंक / जिमस बैंक	1,902.1
8	बीडीपीआईसी	रास बैंक	161.5
9	सी-पीईसी	सी-पीईसी	398.3
10	बहु-सेवा केंद्र के रूप में पैक्स	पैक्स	366.1
11	प्रकाशन	ग्रास बैंक	5.5
12	अन्य सहयोग	आरसीसीआई	267.7
	कुल		**5,459.2**

बीडीपीआईसी= व्यवसाय विविधिकरण और उत्पाद नवोन्मेष कक्ष, बर्ड= बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, सीडीएफ़= सहकारिता विकास निधि, सी-पीईसी= सहकारी समितियों के लिए व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र, सीटीआई = सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, जिमस बैंक= जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, एमएससी= बहु सेवा केंद्र, एनईआर = पूर्वोत्तर क्षेत्र, पैक्स= प्राथमिक कृषि ऋण समिति, ग्रास बैंक= ग्रामीण सहकारी बैंक, आरसीसीआई= ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएँ, सॉफ्टकॉब= सहकारी बैंक कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना, रास बैंक= राज्य सहकारी बैंक.

तालिका अ8.4: क्षेग्रा बैंकों का समेकित कार्यनिष्पादन (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-25[P]	% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)
1	शाखाएँ (सं.)	22,069	22,157	0.4
2	शेयर पूँजी	19,042	19,303	1.4
3	प्रारक्षित निधि	46,659	53,800	15.3
4	जमा	6,59,815	7,13,790	8.2
5	उधार	92,444	92,266	–0.2
6	निवेश	3,19,099	3,14,249	–1.5
7	बकाया ऋण	4,70,109	5,26,829	12.1
8	कुल आस्तियाँ/ देयताएँ	8,40,080	9,02,200	7.4
9	लाभ अर्जित करने वाले बैंक (सं.)	40	39	कमी आई
10	हानि उठाने वाले बैंक (सं.)	3	4	कमी आई
11	निवल लाभ/हानि	7,571	7,148	–5.6
12	ऋण जमा अनुपात (%)	71.2	73.8	सुधार हुआ
13	सीआरएआर (%)	14.2	14.4	सुधार हुआ
14	<9% सीआरएआर वाले बैंक (सं.)	4	3	सुधार हुआ
15	जीएनपीए (%)	6.1	5.3	सुधार हुआ
16	एनएनपीए (%)	2.4	1.9	सुधार हुआ
17	पीसीआर (%)	62.6	65.2	सुधार हुआ

सीडी अनुपात= ऋण जमा अनुपात, सीआरएआर = जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात, जीएनपीए = सकल अनर्जक आस्तियाँ, एनएनपीए= निवल अनर्जक आस्तियाँ, पीसीआर= प्रावधान कवरेज अनुपात

स्रोत: बैंकों द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल और आरआरबी दर्पण पोर्टल पर प्रस्तुत ऑफ-साइट निगरानी विवरणियाँ.

तालिका अ8.5: वित्तीय वर्ष 2025 में क्षेग्रा बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों के समक्ष उपलब्धि

क्र. सं.	क्षेत्र/ उप क्षेत्र	लक्ष्य (%)	उपलब्धि (%)	लक्ष्य/ उप-लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे क्षेग्रा बैंक
1	समग्र प्राथमिकता क्षेत्र	75.0	88.1	–
2	कृषि	18.0	31.9	–
3	लघु और सीमांत किसान	10.0	18.3	–
4	गैर-कॉर्पोरेट किसान	13.8	41.2	अरुणाचल प्रदेश आरआरबी (12.1%)
5	सूक्ष्म उद्यमी	7.5	22.7	–
6	कमजोर वर्ग	15.0	34.7	–

पीएसएल = प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

नोट: वित्तीय वर्ष 2024 के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत लक्ष्य और उपलब्धि की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी चार तिमाहियों के लिए उपलब्धि के औसत आधार पर की जाती है. एएनबीसी पिछले वर्ष की तदनुरूपी तारीख के अनुसार है.

नोट

1. इस अध्याय में आरएफआई से संबंधित सभी आँकड़े बैंकों द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल पर प्रस्तुत ऑफसाइट निगरानी विवरणियों से लिए गए हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.
2. जिमस बैंकों में यहाँ जम्मू और कश्मीर के वे तीन जिमस बैंक शामिल हैं जिन्हें अब तक लाइसेंसीकृत नहीं किया गया है, और इनमें तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल नहीं है जिसे केवल विनियामिकीय और पर्यवेक्षकीय प्रयोजनों से जिमस बैंक माना जाता है. पैक्स की संख्या में कृषक सेवा समितियाँ और दीर्घाकृति कृषि बहुउद्देशीय समितियाँ शामिल है. आँकड़े सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस से लिया गए हैं.
3. वित्तीय वर्ष 2025 के लिए क्षेग्रा बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन के आँकड़े अनंतिम हैं.
4. ऐसे क्षेग्रा बैंकों को “विशेष ध्यान के अंतर्गत रखे गए क्षेग्रा बैंक” के अंतर्गत रखा गया है जो तीन मानदंडों में से एक को पूरा करते है, ये मानदंड हैं – सीआरएआर <10%; सकल अनर्जक आस्तियाँ >10%; आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) गत 2 वर्षों से लगातार <0%.
5. अधिसूचना संख्या एस.ओ.2718(ई) और एस.ओ.2719(ई) के माध्यम से.
6. 13 नवंबर 2024 के पत्र फा.सं.15/15/2015(ई)- आरआरबी के माध्यम से.